

उपारानी

बनाम राज. 0. (72. 2018)

मुकदमा क्रमा 520/2018

नं० 65/2018

सन्

रीख म	<p>2018/00139 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 04.08.2021</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
----------	---	--

पत्राबली देस इ. वकील वादी
इपु तहसीलदार बलवा 1 पत्राबली 60
मोडिया गौप रिपोर्ट 4-6-18 प्राप्त
होके शामिल पत्राबली हो जायी गयी
दावा इरुत्ती निरुत्त प्रतिवादी इ. अरुप
ले पेश किया कि 1 ग्राम इरुत्ती तह
बलवा जिला सोलां की वनोनी एव
मई 33 पुरानी 3) के कुल पत्राबली
14 कुल रकम 2.84 है। एवं वनोनी
सं नई 34 पुरानी 32 कुल कित 15
रकम 1.23 है। से राजस्व अहकामान
लखन के कादीया के पति का नाम मेरा प्र
लोन्पा इरुत्ती इरुत्ती जो गलत है तथा
वादीया के सपुरे का नाम लोन्पा के
ए-पाठ पर स्थानांतरण इरुत्ती इरुत्ती
जो कि गलत है। गवकी कादीया के
के पति का नाम प्र. प्रथम विभाग पत्रा
मे भीवा प्र. लोन्पा मेरा इरुत्ती जो सही है।
वादीया के सपुरे का नाम पत्रा लगाते मे
लोन्पा इरुत्ती है तथा कादीया के पति का नाम
प्रमाण पत्र 190/17-2012 मे भीवा प्र. (जो
इरुत्ती है पत्रा पत्र 5 के 2) 2015, नामाल फल
रजिस्ट्र. एव प्रमाण पत्र 29-6-70 मे भीवा इरुत्ती जो

महिला
कोष




सही है। उक्त उक्त राजस्थान रिपोर्ट
 में नाम इरुली - किमा जाया रिपोर्ट
 में पचा (1971) एक रिपोर्ट किमा पत्र
 मृत्यु प्रमाण पत्र, पहला पत्र, 9 पत्र
 बाड़ीया इर्ज करीब, जांच रिपोर्ट
 पहला रिपोर्ट तहसीलद्वारा बनाया से
 लता से उमे भीवा पत्र 2 पाना रापण
 के ल्या पर भीवा पत्र सो-पो न लता
 स 34 से भेरा पत्र सो-पो के ल्या
 पर भीवा पत्र सो-पो किमा जांच
 उचित होगा. अंकित किमा है

पत्रों
 85

हमने बाड़ीया इरुली की पुना
 पनावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, माफा
 जांच रिपोर्ट पहला रिपोर्ट जोड़ा
 तहसीलद्वारा बनाया का प्रमाण पत्र किमा
 उपरोक्त विवेक एवं दस्तावेजों के
 बाड़ीया इरुली नाम इरुली लीकाल किमा
 जांच उचित प्रतीत होता है

अतः अतिष्ठ है कि-

बाड़ीया इरुली नाम
 इरुली विख्या प्रतिपत्नी लीकाल किमा
 जाता है। तथा राजस्थान जमावेदी 10 20 21
 के अर्थात् 10 33-31 से इर्ज भीवा पत्र
 2 पाना रापण इर्ज के ल्या पर भीवा पत्र
 लीकाल 10 34 से इर्ज भेरा पत्र सो-पो
 के ल्या पर भीवा पत्र सो-पो भीवा



राज्य में विकास से दूर रहने के कारण
जैसे-जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर (वात प्रथावन रहेगी)
वहाँगीलहाल व सवा विधिवत राज्य
विकास से अपल इशामद मरे, पालन
हुत वहाँगीलहाल व सवा को वहाँगीलहाल
हो फलावली केवल मुफ्त होकर बरि
त मथील दालिल वकल हो

निर्णय सुनाया गया

(नीरज कुमार शर्मा)
उप निरीक्षक (कानून) पी. ए. सी.
जिला - बाला